न्यायालय– अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–4, सीकर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	**(विरेन्द्र कुमार मीणा, (UID No.RJ00512)** आर जे एस {जिला न्यायाधीश संवर्ग}
जमानत आवेदन संख्या	:	353/2026
सीएनआर नम्बर	:	RJSK010015632026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	28/2026
अन्तर्गत धारा	:	331(6), 324(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023
पुलिस थाना	:	लोसल जिला सीकर

देवेन्द्र उर्फ देवीलाल पुत्र घासीलाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 07, प्रेमपुरा, लोसल, पुलिस थाना लोसल जिला सीकर (राज.)

... .प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, सीकर

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अ० धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थितः

1. श्री मुकुन्द सिंह शेखावत, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री धर्मेन्द्र सिंह कुड़ी, विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
3. श्री हरीश कुमार शर्मा, प्रथम, विद्वान अधिवक्ता परिवादिया की ओर से

आदेश **दिनांक : 20.05.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देवीलाल की ओर से ये द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 439 दं.प्र.संहिता) माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो अंतरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को खारिज किये जाने पर ये जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का ये द्वितीय जमानत आवेदन होने एवं इसके अलावा उसकी ओर से अन्य कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं होना सत्यापित किया गया है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादिया मन्जू देवी द्वारा पुलिस थाना लोसल जिला सीकर के समक्ष दिनांक 23.02.2026 को एक

टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि दिनांक 22.02.2026 को समय रात्रि 11.55 पर उनके निवास स्थान पर तीन गाड़ियों, दो स्वीफ्ट गाड़ी, जिसमें एक के नंबर आर.जे. 14 ए सी 4552 व एक स्कोर्पियो एन में सवार होकर देवीलाल, मुकेश तथा मोहन जाखड़ आये व देवीलाल ने अपनी गाड़ी से उनके मुख्य दरवाजे व दीवार पर टक्कर मारकर जानलेवा हमला किया, जिससे उनका गेट टूट गया। परिवादिया अपना अन्दर का गेट खोलकर बाहर निकली तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगे तो वह डरकर अपने घर के अंदर बने पानी के होद पर चढ़ गई, जिससे वे उनके घर में गाड़ी लेकर घुस गये और लोहे का सरिया व पाईप दिखाकर उसे धमकी देने लगे कि यह जमीन उनकी है और उन्हें मोहन पैसे देकर अवैध कब्जा करने के लिए लेकर आया है। उसके दोनों बेटे दौड़कर नीचे आये तो आरोपीगण ने उन पर पाईपों से हमला कर दिया तो उसके बेटे भाग गये। आरोपीगण ने उसके साथ छेड़छाड़ व धक्का मुक्की की तथा उसकी सोने की चैन तोड़ ली। उसके दोनों लड़के पत्थर लेकर आरोपीगण की तरफ आये, तब वे गाड़ी से भागने लगे तो उनकी गाड़ी खम्बे में भीड़ गई। उसके बाद वे दूसरी गाडियां लेकर वहां से भाग गये व जाते हुए धमकी देकर गये कि वे लोसल के हिस्ट्रीशीटर है, वे दुबारा आयेंगे व उनको जान से मार देंगे। पुलिस थाना लोसल पर फोन कर पुलिस को बुलाया, तब तक सभी आरोपीगण वहां से भाग गये...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना, लोसल जिला सीकर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/2026 अन्तर्गत धारा 333, 329(4), 307, 74, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध में पंजीबद्ध की गई। बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 331(6), 324(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकरण बहस चार्ज के स्तर पर लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 से प्रकरण में गिरफ्तार होकर पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक पूर्ववृत निम्नानुसार होना बताया गया हैः–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	धारा	पुलिस थाना	विशेष विवरण
1	202/2016	341, 323, 34 भा.दं.सं.	लोसल	दोषमुक्त
2	25/2017	452, 323, 427 भा.द.सं.	लोसल	विचाराधीन
3	43/2017	143, 323, 341, 452, 307 भा.द.सं.	लोसल	विचाराधीन
4	40/2017	452, 336, 427 भा.दं.सं.	लोसल	विचाराधीन
5	195/2018	147, 148, 149, 427, 448 भा.दं.सं.	कुचामन सिटी	विचाराधीन

6	183/2021	427, 440, 427, 504, 506, 34 भा.दं.सं.	धोद	विचाराधीन
7	210/2022	341, 323, 34 भा.दं.सं.	लोसल	विचाराधीन
8	10/2023	149, 379, 427, 447, 120 बी भा.दं.सं.	लोसल	विचाराधीन
9	66/2026	115(2), 126(2) बीएनएस	लोसल	अनुसंधानरत

3– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये है कि उसका प्रकरण से कोई संबंध व सरोकार नहीं है, दिनांक 18.04.2026 से अभिरक्षा में चला आ रहा है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य अपराध है। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा अब प्रकरण के विचारण में अधिक समय लगने की संभावना है। सी सी टी वी फुटेज से भी रात्रि गृहभेदन का अपराध नहीं बनता है। परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त के साथ भी मारपीट कर चोटें कारित की गई है, जिसका क्रोस केस संख्या 29/2026 दर्ज हुआ है, जिसमें परिवादी पक्ष के विरूद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे कोई अपराध का आरोप नहीं है कि जिसमें आजीवन कारावास एवं मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान हो। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

4– विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को आपराधिक पृष्टभूमि का बताते हुए अभियुक्त द्वारा सरिये व पाईप से मारपीट व उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् परिवादी के घर में घुसकर, स्वीफ्ट गाड़ी व स्कोर्पियो वाहन से हमला कर उनके घर के मुख्य दरवाजे व दीवार को तोड़कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कर धमकाया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति के अपराध है। अंत में मामला गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5– उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मारपीट/उपहति व हमला कारित करने की तैयारी के पश्चात परिवादी के घर में घुसकर घर के गेट, व दीवार को तोड़कर धमकाने बाबत् अपराध अ० धारा 331(6), 324(2), 351(2) बी एन एस के आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में माननीय सेशन न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया गया है तथा तत्पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद ये द्वितीय

जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अब प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण बहस चार्ज के स्तर पर लंबित है। प्रकरण के विचारण में अत्यधिक समय लगना संभाव्य है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य है। अभियुक्त 32 वर्षीय नवयुवक है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 से गिरफ्तार होकर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा हैं। अभियुक्त का जो आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर है, उसमें एक प्रकरण में अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है तथा शेष 8 प्रकरण विचाराधीन है। इस प्रकार से अभियुक्त के विरूद्ध लंबित किसी भी प्रकरण में अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। प्रकरण के परिवादी पक्ष के विरूद्ध भी क्रोस केस दर्ज होकर उसमें आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त की आयु एवं अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि को मद्देनजर रखते हुए मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

6– अतः प्रार्थी/अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देवीलाल पुत्र घासीलाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 07, प्रेमपुरा, लोसल, पुलिस थाना लोसल जिला सीकर (राज.) द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 **स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी सन्तुष्टि में 25,000/– रूपये की एक जमानत तथा 50,000/– रूपये का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उक्त प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य किसी प्रकरण में वांछित न होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–28/2026 पुलिस थाना लोसल में अविलम्ब रिहा कर दिया जावे।

न्यायिक दृष्टांत In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No.4/2021, Dtd. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(विरेन्द्र कुमार मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–4, सीकर (राज.)

7– आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विरेन्द्र कुमार मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–4, सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.02 10:12:27 IST